

-:आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017 सम्बन्धी अधिसूचना सं०-12/XXXVI(3)/20(1)/2017, दिनांक, 05 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश सं०-30/XXX-2/ 2018-30 (13 ) 2017 दिनांक, 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद-चमोली में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्रान्तर्गत स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तरीय गतिव सगिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण प्रस्ताव-2018 का अनुमोदन/संस्तुत किये जाने उपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाईयों में समान पद/वेतनमान में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

क्रम सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नव तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	श्री विष्णु सिंह पंचार	माली	राजकीय आर्दश उद्यान गैरसैण	राजकीय आलू उत्पादन प्रक्षेत्र कोटी (जोशिमठ)	सुगम से दुर्गम	अधिनियम की धारा 17-(1) (क) के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण
2	श्री जितेन्द्र सिंह रावत	माली	उद्यान सचल दल केन्द्र, घाट	उद्यान सचल दल केन्द्र, बूरा	सुगम से दुर्गम	अधिनियम की धारा 17-(1) (क) के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण
3	श्री शिवप्रसाद डिमरी	हलवाह	उद्यान सचल दल केन्द्र, गैरसैण	राजकीय उद्यान सुगाई	सुगम से दुर्गम	अधिनियम की धारा 17-(1) (क) के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण
4	श्री दशरथ सिंह रावत	माली	राजकीय आर्दश उद्यान बच्छेरे	राजकीय आर्दश उद्यान कर्णप्रयाग	दुर्गम से सुगम	अधिनियम की धारा 17-(1) (ग) के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण
5	श्री इन्द्र सिंह भुजवाण	माली	राजकीय आलू उत्पादन प्रक्षेत्र कोटी (जोशिमठ)	राजकीय आर्दश उद्यान गैरसैण	दुर्गम से सुगम	अधिनियम की धारा 17-(1) (ग) के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण
6	श्री भरत सिंह गुसाई	माली	राजकीय उद्यान पैतोली	उद्यान सचल दल केन्द्र हरगनी	दुर्गम से सुगम	अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण

- 1-स्थानान्तरित कार्मिक आदेश जारी किये जानें के दस दिनों के अर्न्तगत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- 2-स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3-स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक अवमुक्ति के उपरान्त ही अनुमन्य यात्रा अवधि का उपयोग कर सकेंगे।

(नरेन्द्र यादव)  
मुख्य उद्यान अधिकारी,  
चमोली-गोपेश्वर।

### कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, चमोली-गोपेश्वर।

पत्रांक 399 / वा0स्था0 / 2018-19 / दिनांक, गोपेश्वर, जून, 06 / 2018

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 2:- प्रभारी, उद्यान सचल दल केंद्र, गोपेश्वर / काण्डई / सम्पेवन / घाट / बूरा / गैरसैण / हरमनी।
- 3:- प्रभारी, राजकीय आदर्श उद्यान गैरसैण / बच्छेर / कर्णप्रयाग / सुभाई / पैतोली / रा10 आ0 उ0 प्रक्षेत्र कोटी (जोशीमठ)।
- 4:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चमोली-गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार स्थानान्तरण आदेश को बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट कीजिएगा।
- 5:- संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण गढवाल मण्डल-पौडी।
- 6:- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत जनपद-अल्मोडा।

मुख्य उद्यान अधिकारी,  
चमोली-गोपेश्वर।